

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *373

(दिनांक 27 मार्च, 2023, सोमवार/6 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर)

राज्यों को देय राशि का भुगतान

***373. श्रीमती नवनित रवि राणा:**

श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित सभी राज्यों को देय राशि, यदि कोई हो, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को वास्तव में अदा की गई जीएसटी बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त राज्यों को देय राशि, अदा की गई राशि और बकाया राशि में कोई विसंगति रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 27 मार्च, 2023, चैत्र 6, 1945 (शक) को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.373 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) :- माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य को देय क्षतिपूर्ति की गणना अनंतिम रूप से की जाएगी और प्रत्येक दो महीने की अवधि के अंत में जारी की जाएगी, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित राजस्व के अंतिम आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इसकी गणना की जाएगी। तदनुसार, भारत सरकार ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक के लिए माल और सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व-हानि के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि पहले ही जारी कर दी है। तथापि, राज्यों द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखा परीक्षित राजस्व के अंतिम आंकड़े नहीं दिए जाने के कारण, वित्त वर्ष 2021-22 हेतु महाराष्ट्र के लिए, वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक के लिए पश्चिम बंगाल हेतु तथा वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 तक के लिए बिहार राज्य हेतु अंतिम समायोजन की गणना नहीं की जा सकी और न ही जारी/ वसूली की जा सकी। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण **अनुबंध** के अनुसार है।

वर्ष के दौरान (वित्त वर्ष-वार) जारी की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	3,527	3,117	4,570
2	अरुणाचल प्रदेश	6	0	0
3	असम	1,370	1,014	424
4	बिहार	4,359	1,945	184
5	छत्तीसगढ़	3,212	1,217	2,439
6	दिल्ली	5,522	6,446	12,817
7	गोवा	813	911	1,531
8	गुजरात	11,335	8,329	7,955
9	हरियाणा	5,066	2,909	2,576
10	हिमाचल प्रदेश	1,764	1,168	1,293
11	जम्मू और कश्मीर	2,171	893	418
12	झारखंड	1,958	1,526	2,065
13	कर्नाटक	13,789	8,976	20,288
14	केरल	6,721	3,856	7,246
15	मध्य प्रदेश	5,293	3,095	4,572
16	महाराष्ट्र	17,423	17,834	24,121
17	मणिपुर	22	0	0
18	मेघालय	172	163	0
19	मिजोरम	11	0	0
20	नागालैंड	14	0	0
21	ओडिशा	4,362	2,465	1,887
22	पुदुचेरी	607	329	723
23	पंजाब	9,694	4,442	7,869
24	राजस्थान	5,633	3,746	4,260
25	सिक्किम	26	9	0
26	तमिलनाडु	11,141.9066	6,696.7180	16,215
27	तेलंगाना	3,103	2,006	4,062
28	त्रिपुरा	277	101	0
29	उत्तर प्रदेश	9,324	8,299	11,291
30	उत्तराखंड	2,496	1,475	2,136
31	पश्चिम बंगाल	5,776	4,531	8,228
	कुल	1,36,988	97,500	1,49,168